प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.09.2021 जनपद देवरिया।

देवरिया पुलिस, ए0सी0सी0आई0 देवरिया शाखा एवं लोक कल्याण ट्रस्ट, उ0प्र0 के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मिशन शक्ति फेज–3 के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय देवरिया में पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के संबन्ध में छात्राओं को किया गया जागरूक एवं छात्राओं द्वारा निकाली गयी जागरूकता रैली।

मिशन शक्ति फेज–3 के अन्तर्गत आज दिनांक 07.09.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दीनानाथ पाण्डेय राजकीय महिला स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय देवरिया में देवरिया पुलिस, ए0सी0सी0आई0 देवरिया शाखा एवं लोक कल्याण ट्रस्ट, उ0प्र0 भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा दीप प्रज्जवलित करते हुए संगोष्ठी को प्रारम्भ किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के संबन्ध में नाट्य, लोक गीत प्रस्तुत किया गया एवं छात्रा शबनम खातुन द्वारा स्वरचित कविता सुनाया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा छात्रा शबनम खातुन द्वारा स्वरचित कविता पर उन्हें विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया तथा स्वयं एक कवि होने के नाते पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा कविता की बारीकियों एवं महत्व के संबन्ध में छात्राओं को बताया गया कि अपने भाव को छात्राओं द्वारा अपनी कुशलता का परिचय देते हुए कविता, निबन्ध, कहानी लेखन में रूचि लिया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा मेधावी छात्राओं एवं नाट्य, लोक गीत प्रस्तुत करने वाली छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा वहां उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के संबन्ध में चर्चा किया गया, उन्हें उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नम्बरों 1090, 1076, 181 108, 112 के संबन्ध में जानकारी दिया गया तथा साइबर अपराध से बचाव हेतु अपनी फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम आईडी पर हमेशा दोहरी सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए तथा अपने एकाउंट को लॉक कर के रखना चाहिए, जिससे कोई साइबर अपराधी आप के एकाउंट डिटेल्स के माध्यम से आप के बारे में जानकारी एकत्रित करते हुए साइबर अपराध न कर पाये। ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में अनावश्यक रूप से अपनी डिटेल्स नहीं भरनी चाहिए एवं किसी भी अन्जान कॉल, मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से लुभावने ऑफर के साथ लिंक आदि को नहीं खोलना चाहिए व अन्जान कॉल आने पर अपनी किसी प्रकार के डिटेल्स एवं बैंक डिटेल्स नहीं बताने चाहिए एवं परिवार के सदस्यों को भी इसी तरह साइबर अपराध से बचने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। यदि कभी भी ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से आप के तथा आपके आस–पास किसी भी महिलाओं के बैंक खाते से रूपये स्थानांतरित हो जाते हैं तो तत्काल राष्ट्रीय साइबर

अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) ने हेल्पलाइन नम्बर 155260 के माध्यम से एकीकृत मंच प्रदान किया है, जिसपर तत्काल फोन किये जाने पर बैंक खाते से स्थानांतरित हुए रूपयों के वापस आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तत्पश्चात राजकीय महिला स्नात्तकोतर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गयी, जिसे पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन अंग्रेजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डा0 पंकज शुक्ल द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रचार्य डा0 राजेश भारती ने की।

इस अवसर पर मुख्य रूप से अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री राजेश कुमार सोनकर, क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्रीयश त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री नवीन सिंह, निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई श्रीमती अर्चना, महिला थाना थानाध्यक्ष उ0नि0 प्रीती सिंह, सचिव लोक कल्याण ट्रस्ट, उ0प्र0 एवं ए0सी0सी0आई0 प्रदेश अध्यक्ष श्री लवलेश कुमार, सहायक प्रोफेसर डा0 राखी भारती, प्रोफेसर डा0 महेश, डा0 चन्द्रभूषण, डा0 आलोक रंजन, डा0 अनुपमा राय, डा0 प्रफुल्ल, डा0 सुशील आदि उपस्थित रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.09.2021 जनपद देवरिया।

थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा एक चार पहिया वाहन से 22 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब एवं 01 देशी तमंचा व 01 कारतूस बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

आज दिनांक 07.09.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 आशुतोष कुमार मय हमराही रतसिया कोठी के पास संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक चार पहिया वाहन वैगनार संख्या जेएच.05.पी.9799 से कुल 22 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब प्रत्येक 180 एमएल पाउच बरामद कर अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र जिउत लाल निवासी–विशुनपुरा थाना–मुफस्सिल जनपद–छपरा (बिहार) के पास से 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद कारतूस बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

01.मनीष कुमार पुत्र जिउत लाल निवासी–विशुनपुरा थाना–मुफस्सिल जनपद–छपरा (बिहार)

बरामदगी का विवरणः–

01.एक चार पहिया वाहन वैगनार संख्या जेएच.05.पी.9799

02.कुल 22 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जिसमें प्रत्येक पाउच 180 एमएल,

03.एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–

01.उ0नि0 आशुतोष कुमार थाना भाटपार रानी,

02.कां0 गंगाशरण यादव थाना भाटपार रानी,

03.कां0 विकास मिश्र थाना भाटपार रानी।